कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छ.ग.) एवं पदेन उप सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

—:: प्रारंभिक अधिसूचना ::—

क्र./ 9665 /भू—अर्जन/202404052900010 अ 82/2026 कोरबा, दिनांक 10/08/26

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम /प.ह.नं.	ख.नं.	क्षेत्रफल (हे. में)		
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	अजगरबहार	सतरेंगा 04	170/2/क	0.061	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो बांध विभाग क्र. 3 माचाडोली	सतरेंगा का पूरक भू—अर्जन
			170/2/ख	0.061		
			170/3	0.061		
			170/4	0.065		
			153/3	0.081		
योग			**05**	**0.329**		

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में से कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू—अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू—अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

6. प्रस्तावित भू—अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा जिला कोरबा के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(कुणाल दुदावत)
कलेक्टर
जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू अर्जन अधिकारी
कोरबा, जिला—कोरबा

7666

पृ. क./ /भू–अर्जन/202404052900010 अ 82/2026

कोरबा, दिनांक 10/08/26

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित।
3. कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो बांध विभाग क. 3 माचाडोली जिला कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी कोरबा को उपलब्ध करावे।
4. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव छ.ग.की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग– 1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कोरबा को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ.ग.शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. तहसीलदार अजगरबहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय में करवा कर रिपोर्ट भेजना एवं ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करें ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. सचिव, ग्राम पंचायत सतरेंगा जिला कोरबा को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में चस्पा कराने एवं मुनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करें।

(कुणाल दुदावत)
कलेक्टर
जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग